भारत सरकार
राजस्व मंत्रालय
आयकर विभाग
कार्यालय आयकर आयुक्त,
न्यू सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, एन.एच. (IV), एन.आई.टी. फरीदाबाद।

1. फाईल संख्या	:	आ.आ./फरी./तक./80जी/2013-14/23/24
2. प्रार्थी का नाम एवं पूरा पता	:	अर्पण मुखोपाध्याय, मैमोरियल ट्रस्ट, 24/801, हैरिटेज सिटी, डी.एल.एफ., फेज-2, गुड़गाँव।
3. हैसियत	:	ट्रस्ट ।
4. आदेश की तारीख	:	05.07.2013

आयकर अधिनियम 1961, की धारा 80-जी(5) के साथ पठित आयकर नियम, 1962 के नियम 11कक(4) के अधीन हेतु आदेश

अर्पण मुखोपाध्याय, मैमोरियल ट्रस्ट, 24/801, हैरिटेज सिटी, डी.एल.एफ., फेज-2, गुड़गाँव, ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के अन्तर्गत पंजीकरण/रजिस्ट्रेशन हेतु दिनांक 16.05.2013 को आवेदन निर्धारित फार्म 10जी भरकर इस कार्यालय में दाखिल किया है। ट्रस्ट पहले से ही आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के अन्तर्गत आदेश संख्या आ.आ./फरी./तक./12ए/2011-12/153/44/3139, दिनांक 29.08.2012 को पंजीकृत है।

2. यह सत्यापित करने के लिए धारा 80जी के अधीन सभी शर्तें छूट हेतु पुरी कर ली गई हैं, पत्र फ.स.आ.आ./फरी./तक/80जी/2012-13/1426, दिनांक 05.06.2013 ट्रस्ट को जारी किया गया था और ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये ब्यौरों और दस्तावेजों को जांचा गया।

3. दिनांक 16.05.2013 को ट्रस्ट द्वारा दाखिल किये गए प्रार्थना पत्र और मेरे समक्ष दिनांक 24.06.2013 को निवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्यौरों व दस्तावेजों को जाचंने के पश्चात, मैं ट्रस्ट के उद्देश्यों और उनके कार्य-कलापों की वास्तविकता से सहमत हूँ। ट्रस्ट को दिये गये दान के फलस्वरूप आयकर अधिनियम की धारा 80जी व उससे संबंधित नियमों

COMMISSIONER OF INCOME TAX
FARIDABAD
Exemption U/s 80G
No.: 24

के अन्तर्गत दानकर्ता को छूट प्राप्त होगी, इस संबंध में कानून की सभी अपेक्षाओं की अनुपालना जारी रहेगी।

4. यह आदेश छूट के लिए वित्तिय वर्ष 2013-14 संबंधित निर्धारण वर्ष 2014-15 एवं इसके उपरान्त के वर्षों पर लागू होगा।

हस्त/-
(नीना कुमार)
आयकर आयुक्त, फरीदाबाद

प्रतिलिपिः

1. अर्पण मुखोपाध्याय, मैमोरियल ट्रस्ट, 24/801, हैरिटेज सिटी, डी.एल.एफ., फेज-2, गुड़गाँव।
2. अपर आयकर आयुक्त, रेंज-1, गुड़गाँव।
3. सहायक आयकर आयुक्त, सर्कल-1, गुड़गाँव।

(अमिताभ कुमार)
आयकर अधिकारी, मुख्य(तक.)
कृते आयकर आयुक्त, फरीदाबाद।